सं. ए-11033/21/2020-प्रशि.
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)
प्रशिक्षण प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
दिनांक: जून, 2023

अधिसूचना

यह मंत्रालय राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, मुंबई में **प्रवर श्रेणी लिपिक** के मौजूदा पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन और **लेखाकार सह- प्रधान लिपिक** के पद के लिए भर्ती नियमों को बनाने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मसौदा भर्ती नियम तैयार और अनुमोदित किया गया है।

2. भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एजेंसियों के साथ भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को लेने से पहले, इस मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणी, यदि कोई हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट में अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आमंत्रित की जाती है। निर्दिष्ट अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियम/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा नं. 504-ए, ए विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 में भेजी जा सकती हैं और सॉफ्ट कॉपी rakesh.vagri84@gov.in पर भेजी जा सकती है।

(राकेश कुमार)
उप निदेशक
दूरभाष: 011-23062959

[भारत के राजपत्रके भाग **II,** खंड **3,** उप-खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य औरपरिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख **................. 2023**

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई,भर्ती नियम,1959 के अतिक्रमण में,**राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान,** मुंबई**,** स्वास्थ्य और परिवार कल्याणमंत्रालय में **प्रवर श्रेणी लिपिक के** पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने वाले निम्नलिखित नियमों का संशोधन करते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**-(i) इन नियमों को राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान,मुंबई, 2023 प्रवर श्रेणी लिपिक कहा जायेगा।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या,** वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल **–** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति,** आयु सीमा, अर्हताएं आदि **–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हैया विवाह की संविदा की हैजिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, अथवा

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
प्रवर श्रेणी लिपिक	2*(2023) *कार्यभार के आधार पर बदल सकती है	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (मंत्रालयी)	लेवल-4 (25500 –81100/- रु.)	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।**	**परिवीक्षा की अवधि,** यदि **कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या **प्रतिनियुक्ति /** आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी **जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष	लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

40 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय) टिप्पणी: आयु सीमा का निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथानिर्धारित तारीख को आधार मानकर किया जाएगा(जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं है आयु सीमा के निर्धारण के लिए अंतिम तारीख आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख होगी)				

प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/ आमेलन **द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्तिआमेलन किया जाएगा**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है,** तो उसकी संरचना	**भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के तहत अधिकारी (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना; या (ii) एलडीसी या समकक्ष के ग्रेड में आठ साल की नियमित सेवा के साथ और नोट: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधे क्रम में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त प्राप्त व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए समूह'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति में शामिल हैं: 1. निदेशक, एनआईपीएचटीआर- अध्यक्ष 2. वरिष्ठ समूह क राजपत्रित अधिकारी, (एनएफएसजी और उससे ऊपर), एनआईपीएचटीआर, मुंबई - सदस्य, 3. वरिष्ठ समूह क- राजपत्रित अधिकारी (एनएफएसजी और उससे ऊपर) एससी / एसटी प्रतिनिधि के रूप में, एनआईपीएचटीआर, मुंबई - सदस्य 4. सीजीएचएस/एआईआईपीएमआर - समूहक- राजपत्रित अधिकारी (एनएफएसजी और उससे ऊपर) अतिरिक्त निदेशक सीजीएचएस, मुंबई या निदेशक, एआईआईपीएमआर, मुंबई द्वारा नामित - सदस्य 5. सीजीएचएस/एआईआईपीएमआर, मुंबई से प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को '56 वर्ष से अधिक नहीं' होगी।		

[भारत के राजपत्र के भाग **II,** खंड **3,** उपखंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2023

सा.का.नि. .... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, मुंबई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में **लेखाकार सह-** प्रधान लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **लेखाकार सह-** प्रधान लिपिक भर्ती नियम, 2023 होगा।

   (2) यह सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल-उक्त पदों की संख्या और इसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में लेवल इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति,** आयु सीमा**,** अर्हताएं आदि **–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उस पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हताएं **–** वह व्यक्ति **–**

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लेखाकार सह- प्रधान लिपिक	1*(2023) * कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय	पे मैट्रिक्स में लेवल-6 (35400-112400 रू.)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोनत्त व्यक्तियों की दशा ,में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
आयु तीस वर्ष से अधिक न हो।	अनिवार्य: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/	लागू नहीं।	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो

(केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष की आयु तक छूट) नोट: सीधी भर्ती के मामले में भारत से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (और असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, लाहौल और स्पिति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप - खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वालों के लिए लागू नहीं होगीं)	संस्थान से डिग्री (ii) सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकाय या वैधानिक निकाय में रोकड, लेखा और बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव। नोट 1: अन्यथा उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। टिप्पणी 2: चयन के किसी भी स्तर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों मामले में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव के संबंध में योग्यता में छूट दी जा सकती है यदि कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों			सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

	को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आवेदन मैट्रिक्स (25500रू.- 81100 रू.) (छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पे बैंड 1, 5200- 20200 और ग्रेड पे 2400) के अनुसार लेवल 4 में 8 वर्ष की नियमित सेवा तथा आईएसटीएम या समकक्ष संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्यों में प्रशिक्षण	प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल होगें: 1. निदेशक, एनआईपीएचटीआर- अध्यक्ष 2. वरिष्ठ समूह क- राजपत्रित अधिकारी (एनएफएसजी और ऊपर के), एनआईपीएचटीआर, मुबंई- सदस्य	भर्ती की मिश्रित पद्धति और जब एक अधिकारी के संबंध में आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा है तो यूपीएससी से परामर्श आवश्यक है।

सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पणी 1**: जहां ऐसे कनिष्ठों पर, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते वे अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष जो भी कम हो, से कम न हों, और उन्होने अपने उन कनिष्ठों जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षाधीन अवधि पूरी की हो। **टिप्पणी 2:** प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के उद्देश्य से, 1 जनवरी, 2006 से पूर्व एक अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा या वह तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को विस्तार दिया गया है, तत्समान वेतन या वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतनमान (यदि पद्धति प्रोन्नति नहीं है तो इसका लोप किया जाए) में की गई सेवा को माना जाएगा। * नोट 3: एक से अधिक पात्र लाभार्थियों के मामले	3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि के रूप में वरिष्ठ समूह क- राजपत्रित अधिकारी (एनएफएससी और ऊपर के), एनआईपीएचटीआर, मुबंई, सदस्य 4. सीजीएसएस/ एआईआईपीएमआर समूह क- राजपत्रित अधिकारी (एनएफएससी और अपर के)- अपर निदेशक, सीजीएचएस मुबंई या निदेशक द्वारा नामित- सदस्य 5. सीजीएचएस/ एआईआईपीएमआर, मुबंई से प्रशासनिक अधिकारी- सदस्य	

में प्रस्तावित चयन मानदंड (मॉडल भर्ती नियम के अतिरिक्त) (i) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से डिग्री ख) सरकारी कार्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ वैधानिक निकाय में रोकड़, लेखा और बजट कार्य में 2वर्ष का अनुभव। (ii) गत पांच वर्षों की बैंचमार्क से अधिक अंक वाली एपीएआर (एमएसीपी दिशा निर्देशों के अनुसार) ख) आवश्यकतानुसार, पद को भरने के लिए पात्र संवर्ग के सीमित विभागों की प्रतिस्पर्धा परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। 4. वरिष्ठता * (लेखाकार- सह- प्रधान लिपिक का पद उच्च श्रेणी लिपिक के पद का प्रोन्नति पद है तथा चूंकि उच्च श्रेणी लिपिक के दो पद है; प्रोन्नति हेतु चयन		

मानदंड) **प्रतिनियुक्ति/** आमेलन (क) सीएससीएस के उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होने ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिन्होंने आईएसटीएम या समकक्ष संस्थान से रोकड़ और लेखाकार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा रोकड़, लेखा और बजट कार्य में 2 वर्ष का अनुभव रखते हों, जिसके न होने पर ख. केंद्र सरकार के व अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग/ विभाग में नियमित आधार पर सद्दश पद धारित हो; या (ii) नियुक्ति के बाद प्रदत्त या मूल संवर्ग/ विभाग में समान ग्रेड में नियमित आधार पर 2800 रू. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड- I (5200- 20200 रूपए) में छह वर्ष की नियमिक सेवा; (iii) नियुक्ति के बाद 2400 रू. के ग्रेड वेतन बैंड- I (5200- 20200 रूपए) में या मूल संवर्ग/ विभाग में समान ग्रेड में प्रदत्त ग्रेड में आठ वर्ष की		

नियमित सेवा; और (ख) जिन्होंने आईएसटीएम या समकक्ष संस्थान से रोकड़ और लेखाकार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा रोकड़, लेखा और बजट कार्य में 2 वर्ष का अनुभव रखते हों। **टिप्पणी- 1** प्रदायक श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगें। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति पर विचार का पात्र नहीं होगा। **टिप्पणी- 2** केंद्र सरकार के समान या किसी अन्य संगठन/ विभाग में नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग- बाह्य पद में नियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि समान्यता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम		

तारीख को 56 वर्ष से अधिक' नहीं होगी **टिप्पणी- 3** आमेलन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, 1 जनवरी, 2006 से पूर्व एक अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदत्त सेवा (वह तारीख जब छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनढांचें को विस्तार दिया गया है) को तत्समान ग्रेड वेतन या वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित वेतनमान में प्रदत्त सेवा को माना जाएगा। यह उस स्थिति में लागू नहीं होगा जहां एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमान का समान ग्रेड वेतन या वेतन मान में संविलय किया गया हो तथा जहां यह लाभ केवल उन पदों को विस्तारित किया जाएगा जिनके लिए यह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		